


**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

सन्तोष उर्फ लाली ..... बनाम ..... राजू सरकार  
मुकदम 136 CR Act. .... नं. .... 3/100 ..... सन 2024

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए।
	<p>9.7.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर नामान्तरण विराम संख्या 4353 दिनांक 28.8.2024 एवं 4354 दिनांक 28/8/2024 में रज नाम लाली के स्थान पर सन्तोष उर्फ लाली के नाम पर अन्तर्गत आया है। प्रार्थी द्वारा विराम इन्तकाल की प्रविष्टि की हुकमी प्रा.पत्र 136 CR Act के अन्तर्गत जारी गई है। विराम इन्तकाल की हुकमी सहम त्साफल्य में विराम इन्तकाल की अपील वापस लेने पर ही री जा सकती है। प्रा.पत्र 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आया गया अन्तर्गत पंखरीप नहीं है।</p> <p align="center">अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम पंखरीप नहीं लेने पर वाजिब मिया जाता है। प्रा.पत्र फौजल होकर नम्बर संख्या की वाफ पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।</p> <p align="center"></p> <p align="center">उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राज०</p>	